119

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 259–तीन/97 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–11–1997 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 319/95–96/निगरानी.

1– कैलाश नारायण पुत्र सत्यनारायण
2– दिनेश कुमार पुत्र सत्यनारायण
3– अशोक कुमार पुत्र सत्यनारायण
निवासीगण अवन्तिपुर बड़ोदिया
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, शाजापुर
2– कमलाबाई पत्नी गोविंद प्रसाद महाजन
निवासी अकोदिया मण्डी
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर
3– दुर्गा प्रसाद पुत्र दरियाब सिंह खाती
निवासी ग्राम हन्नूखेड़ी
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर
4– गिरधारी लाल पुत्र जगन्नाथ खाती
5– गणपत सिंह पुत्र जगन्नाथ खाती
6– हरिचरण पुत्र जगन्नाथ खाती
7– जमनाप्रसाद पुत्र जगन्नाथ खाती
निवासीगण ग्राम पगरावद कलां
8– मिश्री लाल पुत्र बोदरसिंह खाती
9– प्रेमनारायण पुत्र बोदरसिंह खाती
10– किशोर सिंह पुत्र कन्हैयालाल खाती
11– भगवानसिंह पुत्र कन्हैयालाल खाती
12– कैलाश नारायण पुत्र मोतीलाल खाती
13– बाबूलाल पुत्र मोतीलाल खाती
14– हेमराज पुत्र मोतीलाल खाती
15– घासीराम पुत्र बोदरसिंह
16– अम्बाराम पुत्र बोदरसिंह

17– देवबाई पिता नन्नूलाल खाती
18– शीलाबाई पिता नन्नूलाल खाती
19– देवबक्ष पुत्र शोभाराम
20– रेवाराम पुत्र देवबक्ष खाती
21– लक्ष्मीनारायण पुत्र देवबक्ष खाती
22– रामेश्वर पुत्र देवबक्ष खाती
23– गीताबाई पिता देवबक्ष खाती
निवासीगण हन्नूखेड़ी
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–11–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कोटवार द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष दिनांक 20–9–1989 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि कस्बा अकोदिया बड़ोदिया की धनाड्य महिला घनश्याम विधवा किशन गोपाल महाजन की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है, उसकी भूमि पर उसके दूर के रिश्तेदार अशोक पिता सत्यनारायण व कमलाबाई ने कब्जा कर लिया है । एक आवेदन पत्र कमलाबाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कमलाबाई का नामांतरण प्रमाणित किया गया, और कमलाबाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकय कर दिया गया है, और उसका भी नामांतरण हो गया है । इस बीच लावारिस भूमि के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर को जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–9–1991 को आदेश पारित कर पूर्वानुसार स्थिति कायम करते हुए प्रश्नाधीन भूमि लावारिस घोषित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर

आयुक्त द्वारा दिनांक 11–11–1997 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18–9–1991 निरस्त कर केता का नामांतरण कायम रखते हुए यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ तर्क के दौरान उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदिका क्रमांक 2 कमलाबाई द्वारा बिना आवेदकगण को पक्षकार बनाये केवल म.प्र. शासन को पक्षकार बनाकर अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं थी, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में हस्तक्षेप कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अवधि बाह्य निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा निगरानी में हस्तक्षेप कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) उभय पक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, इसके बावजूद भी उक्त तथ्य को छिपाकर अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा निगरानी स्वीकार करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 23 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा बिना कोई साक्ष्य लिये बिना प्रमाणित एवं पुष्ट आधारों के अनावेदिका क्रमांक 2 कमलाबाई को मृतक घनश्यामबाई का वारिस घोषित कर दिया गया है । इसी प्रकार मृतक शांताबाई द्वारा भी घनश्यामबाई की मृत्यु के 8–9 वर्ष बाद इस Stage पर स्वयं को वारिस बताते हुए अपुष्ट आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय को संहिता की धारा 177 के अंतर्गत

कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं, जहां सभी पक्षों को अपना साक्ष्य प्रमाणित करने का अवसर होगा । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है । तहसील न्यायालय अधिकतम चार माह में अग्रिम कार्यवाही पूर्ण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर